अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा।

रिपोर्ट योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या नं0 546 ऑफ 2010

सुनीता अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा सरकार प्रतिवादी

निर्णय

## हेमंत गुप्ता, न्यायाधीश

- अपीलार्थी सुनीता 13 जनवरी 2006 को करनाल के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा सुशीला पत्नी शीशपाल की हत्या के लिए सिद्ध दोषी ठहराया गया है। 25 मार्च 2008 को उक्त फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई।
- शीशपाल धर्मा का बेटा है और जिला पानीपत के गांव दादोला का निवासी है । शीशपाल और सुशीला के दो बच्चे थे, एक सागर उम्र करीब 3½ साल और एक बेटी शिवानी उम्र करीब 1½ साल। आरोपी सुनीता शीशपाल के पिता के चचेरे भाई रोशन की बेटी है , जो गांव दादोला का निवासी भी था। रोशन की तीन बेटिया थीं, बाकी दो संतोष और गीता रही ।
- 3. पिरथी सिंह (पीडब्लू-5) गाँव कैलाश के निवासी हैं, जो गाँव डाडोला से 55 कि.मी. दूर गाँव सांगतेरा के रास्ते में है, जो मृतक सुशीला का पैतृक गाँव है। पिरथी सिंह के बड़े बेटे बाबूराम की शादी

शिक्क्षा देवी के साथ हुई थी। वह 18—20 साल पहले मर गई थी। पहली पत्नी से बाबूराम का एक बेटा नीरज और एक बेटी निर्जेश कुमारी हुई थी। यह कथित तौर पर कहा गया है कि सुनीता ने बाबूराम से शादी उसकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद करी थी। उक्त तथ्य पर पिरथी सिंह (पीडब्लू—5) ने विवाद किया है, हालांकि उसने यह स्वीकार किया है कि आरोपी सुनीता अपने बेटे बाबूराम के साथ रह रही थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया था। अपीलकर्ता के वकील द्वारा स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश का एक गांव सांगतेरा, डाडोला से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और गांव डाडोला से गांव कैलाश 55 कि.मी की दरी पर है, जो संगतेरा के रास्ते में है।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि ग्राम कैलाश के निवासी राम दीवाया के पूत्र मुंशी राम ने 4 जनवरी 4. 2004 को सुबह 08.30 बजे एक रिपोर्ट (एक्जिबिट. पी/24) दर्ज करायी थी। उन्होंने कहा कि वह बाबूराम की जमीन पर एक तिहाई बटाई के भुगतान पर किराएदार है, जो पिरथी सिंह (पीडब्लू-5) का बेटा है। लगभग 6 बजे, वह अपने == की ओर जा रहा था और रास्ते में, एक अन्य सह -ग्रामीण, राम लुभाया ने उसे बताया कि किसी ने उसके "बिटोरा" ( गाय के गोबर को रखने की चोटीदार भंडारण ) को आग लगा दी है । उसने वहाँ कई व्यक्तियों को खड़ा देखा । उन्होंने पाया कि आग से एक गंदी दुर्गंध आ रही थी और एक शव को जलता हुआ पाया । उसके बयान के आधार पर , पुलिस घटना स्थल पर गई। इन्क्वैस्ट् रिपोर्ट (एक्जिबिट. पी / 25) में मृत मानव शरीर को जलाने से (----शब्द पुरा नहीं है)। एस आई शमशेर सिंह ( पीडब्लू-14) घटनास्थल पर गये और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, करनाल से शव के अवशेषों के पोस्टमॉर्टम के लिए अनुरोध किया। हालांकि, चिकित्सा अधिकारी ने (---शब्द पुरा नहीं है) और हड्डियों को पी जी आई एम एस, रोहतक को (एक्जिब्टि. पी/8) द्वारा डाक्टरों की बोर्ड की राय के लिए भेज दिया। 5 जनवरी 2004 को ,पोस्टमॉर्टम किया गया था । रिपोर्ट एक्जिबिट. पी / 26 है । यह एक महिला का मृत शरीर पाया गया था। यह 4 फरवरी, 2004 को ईशम सिंह (पीडब्लू–3) (सुशीला के पिता) और कांति (सुशीला की माता) के रक्त के नमूने लिए गए और डीएनए टेस्ट क लिए भेजे गए थे। इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट एक्जिबिट.पी/35 तारीख 1 जून, 2004 है, जिसमें दिखाया गया है कि

हड्डियों और ऊतकों का डीएनए कांति और ईशम सिंह (पीडब्लू—3) के (——शब्द पुरा नहीं है) साथ मेल खाता है। रिपोर्ट के आधार पर, ईशम सिंह द्वारा 15 जून,2004 को एक औपचारिक एफ आई आर (एक्जिबिट. पी/10) दर्ज कराई गई थी।

- 5. 9 जनवरी ,2004 को मृतक सुशीला के पित शीशपाल ने ईशम सिंह (पीडब्लू—3) को सूचित किया था कि उसने अपने लापता बच्चों सागर और शिवानी की तस्वीरों को एक अखबार में देखा था, कहने के अनुसार मानव सेवा संघ, पानीपत के साथ थे। शिशपाल ने यह भी बताया कि सुशीला पानीपत में बच्चों के साथ नहीं थी। ईशम सिंह डाडोला गाँव पहूँचे, लेकिन इसी बीच, शिशपाल पानीपत से बच्चों को वापस ले आया।
- 6. ईशम सिंह पीडब्लू—3 के रूप में पेश हुए और गवाही दी कि 16 जनवरी, 2004 को उन्हें पता चला कि ग्राम कैलाश में एक महिला को "बिटोरा" में जला दिया गया था। वह अपने "Brother-in-law" कश्मीर सिंह (पीडब्लू—12) के साथ गाँव कैलाश गया और उसे पता चला कि उक्त घटना 3/4 जनवरी, 2004 की मध्यरात्री में हुई है। आरोपी संदिग्ध था।
- 7. जांच एस आई शमशेर सिंह (पीडब्लू—14), एस आई रमेश चंद (पीडब्लू—19) और इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह (पीडब्लू—20) द्वारा की गई थी। जांच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा दायर एक आवेदन पर, अशोक कुमार और सेठ पाल के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। लेकिन दोनों सह अभियुक्तों को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। अपीलकर्ता के वकील ने बहस करी कि अभियोजन की कहानी अविश्वसनीय और विरोधाभासों से भरी है।
- 8. अभियोजन पक्ष का पूरा मामला बाबूराम के बेटे नीरज (पीडब्लू—4) और बाबूराम के पिता पीरथी सिंह (पीडब्लू—5) द्वारा अंतिम बार देखे जाने के सबूतों पर आधारित है। यह बहस प्रस्तुत किया गया है कि दोनों व्यक्ति अपीलकर्ता के विरोधी हैं क्योंकि अपीलकर्ता ने बाबूराम की संपत्ति पर दावा करने के लिए मुकदमा दायर किया है, क्योंकि उसकी पत्नी को उक्त गवाहों द्वारा उसके अधिकार से वंचित किया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नीरज (पीडब्लू—4) ने कहा है कि उसने मृतक और उसके

दो बच्चों के साथ अपीलकर्ता को 3 जनवरी, 2004 को जी.टी. रोड से अपने गाँव की ओर मोड पर देखा था। जब वह करनाल से 02.00 बजे वापस लौट रहा था। नीरज (पीडब्लू-4) ने आगे बयान दिया कि 3/4 जनवरी, 2004 की बीच की रात को लगभग 02.00 बजे, जब वह पेशाब करने के लिए उठा, तो उसने सुनीता को स्कूटी पर जाते हुए पाया, जिसके स्कूटी के पायदान पर गनी बैग रखा था। सुबह, उसने रतन सिंह के खेतों में स्थित "बिटोरा" को दूर से जलते देखा। लगभग 09.00 बजे, उसने देखा कि वहाँ भीड इकट्ठा थी और वह अपने तीन दोस्तों के साथ वहाँ गया। पुलिस भी मौके पर पहुँची। अन्य दो सह-अभियुक्त अशोक कुमार और सेठ पाल की भूमिका से संबंधित जिरह का हिस्सा, जो इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं है। अन्होंने गवाही दी कि अपीलकर्ता के साथ महिला 5'7" की ऊंचाई की थी। मृतक सुशीला के पिता ईशम सिंह (पीडब्लू-3) ने गवाही दी है कि सुशीला का कद 5' था। इस प्रकार, यह बहस प्रस्तुत की गई कि अगर गवाह ने मृतक को अपीलकर्ता के साथ देखा था, तो उसने कद की ऊंचाई को सही ढंग से देखा होगा । यह भी बहस प्रस्तुत की गई कि नीरज (पीडब्लू-4) ने सुशीला की पहचान नहीं की है जब उसने कथित तौर पर उसे अपीलकर्ता के साथ देखा था. जो काफी अविश्वसनीय है क्योंकि वह अपीलकर्ता का सौतेला बेटा था। आगे यह बहस करी गई कि स्कूटी के पायदान पर एक मृत शरीर को बोरी पर रखकर सवारी करना असंभव है, इसलिए अभियोजन की कहानी एक स्वाभाविक असंभावनाओं से भरी है।

- 9. अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि पिरथी (पीडब्लू—5) ने यह गवाही दी है कि उसने मृतक को उसके दो नाबालिग बच्चों के साथ अपीलकर्ता के घर में 03 जनवरी ,2004 को लगभग सायं 5 बजे देखा है। हालॉकि, जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि उनका बयान "बिट्रा " के जलने के 7—8 दिनों बाद दर्ज किया गया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि उन्होंने मृतक को नाबालिक बच्चों के साथ सुनीता के घर में देखा है।
- 10. अपीलार्थी के वकील ने "सतपाल बनाम हरियाणा राज्य" पर निर्भर करते हुए कहा है कि नीरज (पीडब्लू—4) और पिरथी (पीडब्लू—5) का सबूत कमजोर हैं और अपने आप सजा सुनाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सुशीला की मौत से अपीलकर्ता को जोड़ने के लिए और कोई सबूत नहीं है। यह

माना गया है कि अंतिम रूप से देखे गए सिद्धांत के सबूत एकल रूप से दोषी साबित करने के लिए अपने आप में एक कमजोर प्रकार के सबूत हैं। अदालत ने इस प्रकार माना है:—

हमने संबंधित प्रस्तृतियाँ और रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का विचार किया है। घटना ″6. के कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन केवल परिस्थितियों और यह तथ्य कि मृतक के साथ अपीलकर्ता को अंतिम बार देखा गया है। आपराधिक न्यायशास्त्र और न्यायिक मिसाल की प्रचुरता ने आखिरी बार देखे गए सिद्धांत को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के एक पहलू के रूप में लागू करने के लिए बुनियादी सिद्धांतों के पुनर्विचार के लिए कोई जगह छोड़ी। संक्षेप में कहे तो, यह एकल रूप में सजा देने के लिए अपने आप में कमजोर पाया गया हो। लेकिन जब इसे अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाता है जैसे कि उस समय जब मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था और लाश की बरामदगी का समय बहुत करीब होना, तो अभियुक्त की साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उन परिस्थितियों के संबंध में जवाब देही बनती है, जिनके तहत मृत्यू हुई हो । यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता या गलत स्पष्टीकरण देता है, फरार हो जाता है, मकसद स्थापित हो जता है, और बरामदगी के रूप में पुष्टिकर साक्ष्य अन्य चिजों के साथ उपलब्ध हो या परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाता हो जिसके द्वारा अभियुक्त के अपराध का निष्कर्ष निकलता हो और बेगुनाही के किसी भी परिकल्पना के साथ असंगत हो, तो सजा उसी पर आधारित हो सकता है। यदि कोई संदेह है या परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी कही टूटे , तो संदेह का लाभ अभियुक्त को जाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मामले के सिद्धांत को लागू करने के लिए अपने स्वयं के तथ्यों की जांच करनी होगी।

(जोर दिया गया )

11. एक अन्य फैसले में, "असार मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ यूपी" में इस अदालत ने दोहराया कब परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। अदालत ने माना कि :--

- "9. प्रतिद्वंदी सबिमशन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामलें में अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध के करने में अपीलकर्ताओं की भागीदारी के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष का पुरा केस पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिकी हुई हैं। "पदला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य" मामलें में इस तरह के मामले की जांच कैसे की जानी चाहिए, इसकी कानूनी स्थिति निम्नलिखित शब्दों में है:—
  - "10...... अदालत ने फैसलों की एक श्रृंखला में लगातार यह माना है कि जब कोई केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिकी हुई है, तो ऐसे सबूतों को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:—
    - (i) जिन परिस्थितियों से अपराधबोध के निष्कर्ष को प्राप्त किया जाता है, उन्हें मजबूती और प्रबलता से स्थापित किया जाये।
    - (ii) उन परिस्थितियों को एक निश्चित प्रवृत्ति का होना चाहिए जो आरोपियों के अपराध की और बिना चूके इशारा करें।
    - (iii) संचयी रूप से लिये गये परिस्थितियों में, एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न जाए कि सभी मानव संभाव्यता के भीतर अभियुक्त द्वारा अपराध किया गया था और किसी ने नहीं; और
    - (iv) अभियोजन बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण और किसी भी अन्य परिकल्पना , जो अपराधी के अपराध के अलावा कुछ और साबित ना करता हो, से अक्षम होना चाहिए और इस तरह के सबूत न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए। ( देखें गंभीर बनाम महाराष्ट्रा राज्य)।

- 11. यह भी देखें " रमा नंद बनाम हिमाचल प्रदेश" "प्रेम ठाकुर बनाम पंजाब सरकार" "याराभद्रराणा @ किष्णअप्पा बनाम कर्नाटक राज्य" "गिआन सिंह बनाम पंजाब सरकार" "बलविंदर सिंह बनाम पंजाब सरकार"
- 10. मुलख राज बनाम सतीश कुमार में, अदालत ने पैरा 4 में संक्षेप में कानूनी स्थिति को निम्न अनुसार बतलाया है:—

"4.......निरसंदेह यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका है। यह दोहराना उचित होगा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर स्थापित मामले में, अभियोजन को सभी परिस्थितियों के लिंक को एक अटूट श्रृंखला से सिद्ध करना चाहिए, जो केवल अभियुक्त के अपराध का निष्कर्ष निकालता हो। यदि सिद्ध परिस्थितियों में से अभियुक्त की निर्दोषता किसी अन्य उचित परिकल्पना से साबित की जा सकती है. तो अभियुक्त लाभ का हकदार होगा । जो आवश्यक है वह मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक ,विश्वसनी और संभावित परिस्थितियों को आरोपी की अपराध से जोड़ने वाली श्रृंखला से पूरा करने के लिए है । यदि अपराध के संबंध में अभियुक्त का आचरण पिछले और बाद के आचरण से संबंधित है, तो यह भी प्रासंगिक तथ्य हैं। इसलिए , अभियुक्त के आचरण की सामान्य प्रवाह की अनुपस्थिति और मामले की मानवीय संभावनाएं भी प्रासंगिक होगी। अदालत को परिस्थितियों के संचयी प्रभाव के साक्ष्य को तौलना चाहिए और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है , तो आरोप सिद्ध माना जाये और सजा दी जाये।"

- 12. हमने वकील को पक्ष के लिए और अपीलकर्त्ता के वकील द्वारा बहसमें उठाए गये योग्यता के लिए सुना है।
- 13. अभियोजन की कहानी के अनुसार , सुनीता का पैतृक गांव दादोला है यानी मृतक के पित शीश पाल वाला हीं गांव। सुनीता, शीश पाल के पिता के चचेरे भाई की बेटी है, इसलिए , वह मृतक से पिरचित है। सुनीता गांव कैलाश में बाबूराम के साथ रह रही थी, जो दादोला से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अभियोजन की कहानी यह है कि मृतक और अपीलकर्त्ता ने कुछ समय पहले मृतक के भतीजे के जन्म की मुबारकबाद देने के लिए सांगतेरा जाने की योजना बनाई। इसलिए, दोनों गांव दादोला से गांव सांगतेरा गए और रास्ते में गांव कैलाश पर रूक गए। मृतक के पास गांव कैलाश में रहने का मौका नहीं था, जब तक वह सुनीता के साथ नहीं होती , जो उसके पित की चचेरी बहन है। इसलिए, संदेह की सुई अपीलकर्त्ता पर है।
- 14. सुशीला 3 जनवरी 2004 को लापता हो गई, लेकिन कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। मृतक के पिता ईशम सिंह (पीडब्लू—3) ने 15 जून ,2004 को एफ आई आर दर्ज की थी, यानी अपनी बेटी के मृत शरीर की पहचान के बाद। उन्होंने गवाही दी कि आरोपी—अपीलकर्ता के पिता रोश्न की देखभाल उनकी बेटी द्वारा की गई थी और मृतक के जीवन को लेने का मकसद यह था कि अपीलकर्ता को यह डर था कि उसके पिता सुशीला को अपनी संपत्ति दे सकते हैं। रोश्न डीडब्ल्यू—3 के रूप में आए हैं, जिन्होंने यह गवाही दी है कि उनकी देखभाल मृतक द्वारा नहीं की गई थी। इसलिए , प्राथमिक मकसद को बनाया नहीं जा सकता। मृतक के बच्चे मानव सेवा संघ, पानीपत में पाए गए थे। इस तरह का तथ्य मृतक के पति शािशपाल के एक विज्ञापन से सामने आया था, लेकिन मानव सेवा संघ में बच्चों को छोडने वाला व्यक्ति रिकॉर्ड में नहीं आया है।

- ईशम सिंह ( पीडब्लू-3) के अनुसार , सुशीला की ऊंचाई 5' थी, जबकि नीरज (पीडब्लू-4) के 15. अनुसार, बस स्टॉप पर अपीलकर्ता के साथ महिला 5'7" थी। ईशम सिंह (पीडब्लू-3) और नीरज (पीडब्लू-4) द्वारा बताए गए मृतक की ऊंचाई में अनुमानित अंतर है, लेकिन इस तरह की विसंगति नीरज (पीडब्लू–4) के कथन की सत्यता का परीक्षण करने के लिए एक कारक है। नीरज (पीडब्लू–4) ने बयान दिया कि उसने अपीलकर्ता दवारा चलाये गये स्कूटी के पायदान पवर एक बैग रखा हुआ देखा था। स्कूटी पर शव का वजन ले जाना विश्वसनीय नहीं है। फिर आगे, नीरज (पीडब्लू-4) ने अपने पिता बाबूराम को छोड़ दिया (जब उनके पिता सुनीता के साथ रहने लगे) और अपने दादा पिरथी सिंह (पीडब्लू-5) के साथ रहने लगा। बाबूराम की संपत्ति पर दावा करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर सिविल सूट (एक्जिब्ट 0.5) है। इसलिए, इस तरह के बयान को चुटकी भर नमक की तरह लिया जाये, क्योंकि यह एक व्यक्ति द्वारा किया है, जो अभियुक्त का विरोधी है। पिरथी सिंह (पीडब्लू–5) का कथन केवल इस तथ्य पर है कि उसने शव की बरामदगी "बिटोरा" में से देखी थी। हालांकि ,उन्होंने यह बयान दिया है कि उसने मृतक को 3 जनवरी, 2004 को सूनीता के घर में देखा था, लेकिन फिर से यह एक गवाह का बयान है जो अपीलकर्ता के साथ भिडे हुए है। इसलिए, इस तरह के बयान को किसी भी पृष्टीकरण के अभाव में आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र सबूत आखिरी बार नीरज ( पीडब्लू–4) दवारा दोपहर 2 बजे और पीरथी सिंह ( पीडब्लू-5) द्वारा शाम 5 बजे देखा जाना है और बाद में नीरज द्वारा रात के 2 बजे, सुनीता को उसकी स्कूटी पर बोरी के साथ। इस तरह के सबूत परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा नहीं करते हैं ताकि धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को सजा दी जा सके।
- 16. अभियोजन पक्ष ने गांव कैलाश में "बिटोरा" से बरामद किए गए शव से डीएनए परीक्षण के आधार पर केवल सुशीला की मौत को साबित करने में कामयाब हुआ है। भले ही नीरज (पीडब्लू-4) का बयान इस बात पर निर्भर हो कि उसे मृतक की पहचान किसी दूसरे गाँव के निवासी के होने के बारे में ना

पता हो, लेकिन सबसे अच्छा तथ्य यह है कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने अंतिम बार मृतक को अपीलकर्ता के साथ 3 जनवरी 2004 हो दोपहर 2 बजे देखा था।

उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 का उल्लेख किया है कि अपीलकर्ता 17. को उन परिस्थितियों की व्याख्या करने की आवश्यकता थी, जिसके तहत मृतक के शरीर के अंगों को कैलाश गांव में जलते हुए "बिटोरा" से बरामद किया गया था। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय की खोज त्रृटिपूर्ण है क्योंकि "बिटोरा" अपीलकर्ता के कब्जे में नहीं था और पूरी तरह से होने का बहुत दूर की बात हैं। यह रतन सिंह के खेत में एक खुले क्षेत्र में स्थित था। फिर भी, इस तरह की व्याख्या आवश्यक होगी. अगर अभियोजन पक्ष ने प्रारंभिक दायित्व का निर्वाहन किया है। इसलिए, अपीलकर्ता को उस गाँव में "बिटोरा" में पाए जाने वाले शरीर के अंगों की परिस्थितियों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी जहाँ वह बाबूराम के साथ रहती थी। अभियोजन पक्ष के अन्य सबूत सुशीला के पिता के "Brother-in-law" कश्मीर सिंह ( पीडब्लू-12) के लिए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वकृति के हैं। अभियोजन पक्ष ने कश्मीर सिंह (पीडब्लू-12) के अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति करने के लिए अपीलकर्ता को विश्वास दिलाने के लिए किसी विशेष परिस्थिति को रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किया है। अन्य सबूत स्कूटी की वसूली है, जो शिकायत द्वारा किए गए प्रकटीकरण ब्यान के आधार पर किया गया है। नीरज (पीडब्लू-4) के बयान कि उसने अपीलकर्ता को बोरी के साथ स्कूटी की सवारी करते देखा है, इस सबुत के अलावा इस अपराध में और अन्य सबुत नहीं है। स्कूटी या किसी अन्य सबूत पर कोई खून का निशान नहीं है कि इसका इस्तेमाल अपीलकर्ता ने शरीर के निपटान के लिए किया है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि सुशीला की हत्या किस स्थान पर हुई थी। रिकॉर्ड पर उपलब्ध मीत के कारण का तरीका या मृत्यु के स्थान का कोई सबूत नहीं है। इसलिए हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि यह अपीलकर्ता है और अकेले अपीलकर्ता सुशीला की हत्या के अपराध के लिए दोषी है ।

11

18. नतीजतन, अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए अपील को स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को

उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। जमानत बांडो को डिस्चार्ज किया जाता

है। अगर वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे रिहा करें।

......ज. एल.नागेश्वर राव.

.....ज. हेमंत गुप्ता ,

नई दिल्ली जुलाई 30, 2019

## **XXXXXXX**

अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा।

Disclaimer:-The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the filed for the purpose of execution and implementation.

Translated by Shri Lekh Nath Gautam , Translator and Typed by Neeraj Kumar Mishra. Senior Assistant.